

नोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में प्रतीत होता

अतः गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी
ख पेशी तक आराजीयात खसरा नं० 607, वाके ग्राम क्यारदा खुर्द में
की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है।
ह जाहिर करने हेतु गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर
वली दिनांक 21.11.2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

पत्रावली प्रस्तुत/पीठासन अधिकारी महोदय
दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः
पत्रावली पूर्वदिशा अनुसार दिनांक... 11.11.17
को पेश हो।

1.17 पत्रावली बकील सायल के आग्रह पर पेश
हुई। सायलान को जरिये बकील प्रार्थना पत्र
बाबत विज्ञापित पेश का पुनः दावा पेश करने
बाबत पेश दिनांक 12.11.16 को हुआ। जिसके
आधा पत्र प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा स्वार्थिन
किन्तु जाब्त नम्बरे से कद की जाकर हरिकेल दफ्तर
की जाये।